य उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

/2022
दिनांक–18.01.2022
–04.09.2024

ा जाति बैरवा निवासी ग्राम ककराज खुर्द तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादी

बनाम

तहसील पीपलू

प्रतिवादी

दावा बाबत् शीट दुरूस्ती, तरमीम दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज. टि. एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 529/2 45 हैक्ट. साबिक ख0न0 74 रकबा 05–00 बीघा वाके ग्राम ककराज खुर्द दिनांक 15.09.1971 को आवंटन कर कब्जा सुपुर्द किया था। उक्त वर्णित भूमि की नक्शा शीट में गलत रूप से तरमीम कर दी ा जहां कब्जा है तथा जहां पटवारी हल्का ने चतरा को कब्जा दिया था। उसके अनुसार तरमीम शीट में ए थी, परन्तु हाल ख0न0 529/2 रकबा 1.2645 हैक्ट. की तरमीम वर्तमान शीट में गलत दिखा दी गई उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज है और काश्त कर रहा है। मौके पर बने हुए खेत व कब्जे के अनुसार ही होने से आज की वर्तमान स्थिती में आस पास के लोग परिवर्तन करना चाहते है। जिससे वादीगण हानि की संभावना हो गयी है तथा काश्त करने में परेशानी आ रही है। ख0न0 529 की तरमीम मोके तकारो के कब्जे के अनुसार नही की गई है। वादी भूमिहीन, अनुसूचित जाति के काश्तकार लोग है। अपनी भूमि पर काबिज रहकर काश्त करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। वर्तमान शीट मे ख0न0 को गलत स्थान पर दिखा दिया है। जबकि मौके की जांच करवायी जाकर वादी को कब्जे काश्त व रूप से विद्यमान खेत के अनुसार तरमीम करवाया जाना तथा वर्तमान नक्शा शीट में दुरूस्त करवाया आवश्यक है। वादी अनपढ़ ग्रामीण, लोग है, जो राजस्व रिकॉर्ड तथा कानून से अनभिज्ञ है। वादी ने तरमीम के लिए कई बार सक्षम अधिकारीयो से निवेदन किया, परन्तु इनकी कोई सुनवाई नही हुई। अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 529/2 रकबा 1.2645 हैक्ट. वाके ग्राम

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

तह0 पीपलू जिला टोंक की वर्तमान शीट में की गयी तरमीम दुरूस्त की जाकर मौके पर कब्जे व
के अनुसार तथा भौतिक स्थिती के अनुसार शीट में तरमीम करवायी जावे।

त्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी की गई एवं अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से
र्ट चाही गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की भूमि आराजी
2 रकबा 1.2645 हैक्ट. साबिक ख0न0 74 रकबा 5.00 बीघा ग्राम ककराज खुर्द में प्रार्थी कालू पुत्र
रवा निवासी ककराज खुर्द के नाम दिनांक 15.09.2071 को उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा आवंटन
। उपरोक्त वर्णित भूमि का वर्तमान नक्शा शीट में गलत रूप से तरमीम की गई है। मुताबिक कब्जा
र तरमीम नही की गई है। प्रार्थी मौके पर जाहं काबिज है। वहां मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार
हुआ है, जो मौके पर रिकॉर्ड अनुसार न होकर अन्यत्र जगह से निकला हुआ है। प्रार्थी का मौके
राजस्व रिकॉर्ड अनुसार काबिज का नक्शा शीट संलग्न है। वर्तमान शीट में जहां प्रार्थी ने आवेदन
हां पर प्रार्थी का व अन्य व्यक्तियो के मौके पर कब्जे हैं। मुताबिक वर्तमान तरमीम आराजी ख0न0
प्रार्थी का कब्जा लगभग 1.10 हैक्ट. भूमि पर कब्जा है। उक्त तरमीम में शेष बची भूमि 0.1645 हैक्ट.
य लोगो का कब्जा है। प्रार्थी का वर्तमान ख0न0 529/1 में लगभग 0.1645 भूमि पर कब्जा है। इस
का लगभग मौके पर 1.2645 हैक्ट. भूमि पर कब्जा है। संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थी की तरमीम
। जाना उचित एवं न्यायसंगत होगा। प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड को मौके की स्थिती अनुसार तरमीम को
जाने एवं कब्जे अनुसार किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

वादी ने बहस का निवेदन किया। बहस सुनी गई। वादी ने दौराने बहस वादपत्र में अंकित तथ्यों का
ते हुए कहा कि भूमि आराजी ख0न0 529/2 रकबा 1.2645 हैक्ट. साबिक ख0न0 74 रकबा 05-00
ग्राम ककराज खुर्द दिनांक 15.09.1971 को वादी को आवंटन कर कब्जा सुपुर्द किया था। उक्त वर्णित
क्शा शीट में गलत रूप से तरमीम कर दी गई है तथा जहां कब्जा है तथा जहां पटवारी हल्का ने
कब्जा दिया था। उसके अनुसार तरमीम शीट में होनी चाहिए थी, परन्तु हाल ख0न0 529/2 रकबा
ट. की तरमीम वर्तमान शीट में गलत दिखा दी गई है। वादी उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज है और
रहे है। मौके पर बने हुए खेत व कब्जे के अनुसार तरमीम नही होने से आज की वर्तमान स्थिती में
के लोग परिवर्तन करना चाहते है। जिससे वादी को अपार हानि की संभावना हो गयी है तथा काश्त
रेशानी आ रही है। ख0न0 529 की तरमीम मोके पर काश्तकारो के कब्जे के अनुसार नही की गई है।
बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 259/2 रकबा 1.2645 हैक्ट.
ककराज खुर्द तह0 पीपलू जिला टोंक की वर्तमान शीट में की गयी तरमीम दुरूस्त की जाकर मौके पर
ने हुए खेत के अनुसार तथा भौतिक स्थिती के अनुसार शीट में तरमीम करवायी जावे।

तहसीलदार पीपलू ने अपनी बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 529/2 रकबा 1.2645 हैक्ट.
ख0न0 74 रकबा 5.00 बीघा ग्राम ककराज खुर्द में प्रार्थी कालू पुत्र चन्द्रा जाति बैरवा निवासी ककराज

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

देनांक 15.09.2071 को उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा आवंटन किया गया था। उपरोक्त वर्णित भूमि
शा शीट में गलत रूप से तरमीम की गई है। मुताबिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नही की गई
र्तमान तरमीम आराजी ख0न0 529/2 में प्रार्थी का कब्जा लगभग 1.10 हैक्ट. भूमि पर कब्जा है।
में शेष बची भूमि 0.1645 हैक्ट. भूमि पर अन्य लोगो का कब्जा है। प्रार्थी का वर्तमान ख0न0 529/1
1645 भूमि पर कब्जा है। इस प्रकार प्रार्थी का लगभग मौके पर 1.2645 हैक्ट. भूमि पर कब्जा है।
ट्रेस अनुसार प्रार्थी की तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत होगा।

उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत नक्शा शीट एवं प्रतिवादी तहसीलदार पीपलू के जवाब के
या गया। साथ ही उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तहसीलदार पीपलू की रिपोर्ट से स्पष्ट है की
529/1 में रकबा 0.1645 हैक्ट. भूमि की तरमीम संशोधन चाहता है। जिसमें अन्य लोगो का भी
होना बताया गया है। जिनको प्रस्तुत वाद में पक्षकार भी नही बनाया गया है। तहसीलदार पीपलू के
ग कही उल्लेख नही किया है, की उक्त तरमीम में राजस्व कर्मचारियो द्वारा त्रुटी कारित की हो।
सा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे उक्त तरमीम में त्रुटी सिद्ध होती है। केवल
तिकुल कब्जे के आधार पर तरमीम संशोधन चाहता है, जो की न्यायोचित नही है। अतः उक्त विवेचना
र अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। निर्णय
5 04.09.2024 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर
म हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(कपिल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner